कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन - 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र0 31 /नातौ/अ-1(1)/2017 भोपाल, दिनांक: 3 /02/2017

प्रति,

समस्त निरीक्षक
नाप-तौल,
मध्यप्रदेश

विषय :- मनी रसीद की राशि कोषालय में जमा करने के संबंध में ।

------00------

विषयांतर्गत कार्यालयीन उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज मनी रसीद द्वारा जो राशि कोषालय में जमा की जाती है उस राशि को अगले कार्यदिवस में नियमानुसार कोषालय में जमा किया जाना आवश्यक है, यदि संभव न हो तो सप्तांहत तक राशि जमा कराया जाना अनिवार्य है इस संबंध में मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के नियम 16(3) के अंतर्गत प्रावधान किये गये है तथा म.प्र. कोषालय संहिता वॉल्यूम-1 के अनुभाग V के नियम 7 में भी यही प्रावधान है ।

यह पाया गया है कि निरीक्षक अनावश्यक रूप से मनी रसीद से जमा कराई गई राशि को लंबे समय तक अपने पास रखते है जो अस्थाई गबन की श्रेणी में आता है अतः समस्त निरीक्षक प्राप्त राशि अविलंब उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत कोषालय में जमा कराने की कार्यवाही करेंगे । निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें ।

S.Jain
(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप-तौल,
म.प्र. भोपाल

पृ0 क्र0 31 /नातौ/अ-1(1)/2017 भोपाल, दिनांक: 3 /02/2017

प्रतिलिपि :-

समस्त उप/सहायक नियंत्रक नाप-तौल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित । आप अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त निरीक्षकों के केश रजिस्टर का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे, यदि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्ताव केश रजिस्टर की छायाप्रति सहित प्रेषित करेंगे ।

S.Jain
नियंत्रक
नाप-तौल,
म.प्र. भोपाल